

श्रीमान्,

ग्राम कोडिया में जमावदी खेत 2070-73 खाना सं 152 के खेतों का हिस्सा पूर्ण रही है जहां जमावदीयान का अन्वेषण किया जा सका है खेत 2024-37 खाना सं 16 के अन्वेषण वर्तमान में 2070-73 खाना सं 152 निम्न प्रकार के मोक्षित किया जाना प्रस्तावित रामलाल पुत्र परसादी हि० 1/2, गोपी पुत्र शोनारामण हि० 1/8, चमरेलाल मलखान मोहरखिंद हि० जयनारायण हि० 1/8, गुल्मा पुत्र मोला हि० 1/8, प्रमोहन नादान सुगन पि श्रीलाल हि० 1/16, इन्द्राज प्रेमराज मोदा घासी देवडूमा हि० 1/48, केदारी छीतरिया पि सुखलाल हि० 3/48 जहाँ निम्न रिपोर्ट लिखते उचित कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

कार्यालय तहसीलदार हिण्डौन सिटी (करीली)

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

दिनांक 21/11/2080 दिनांक 26/11/17

आदेश  
 पुनर्निर्धारित रिपोर्ट 17/11/2080 के तहसीलदार के अन्वेषण के अन्वेषण जमावदी 2070-73 खाना सं 152 निम्न जमावदी 2037-39 खाना सं 26 हेतु जमावदी खेतों का अन्वेषण रामलाल पुत्र परसादी हि० 1/2, गोपी पुत्र शोनारामण हि० 1/8, चमरेलाल मलखान मोहरखिंद हि० जयनारायण हि० 1/8, गुल्मा पुत्र मोला हि० 1/8, प्रमोहन नादान सुगन पि श्रीलाल हि० 1/16, इन्द्राज प्रेमराज मोदा घासी देवडूमा हि० 1/48, केदारी छीतरिया पि सुखलाल हि० 3/48 जहाँ निम्न रिपोर्ट लिखते उचित कार्रवाई हेतु प्रेषित है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

आदेश

तहसीलदार (भू-अ.नि.) हिण्डौन सिटी (करीली)

मि० नं० 22/11/2017

ई-धरवी कार्यक्रम सेग्रीगेशन के लिए राजस्थान सरकार द्वारा अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत पैरा 5080 रिपोर्ट एवं तहसीलदार हिण्डौन की अधिशंसा क्रमांक 2080 दि० 26/11/17 के आधार पर ग्राम कोडिया जमावदी सम्यत 2070-73 खाना सं 152 में रामलाल पुत्र परसादी हि० 1/2, गोपी पुत्र शोनारामण हि० 1/8, चमरेलाल मलखान मोहरखिंद हि० जयनारायण हि० 1/8, गुल्मा पुत्र मोला हि० 1/8, प्रमोहन नादान सुगन पि श्रीलाल हि० 1/16, इन्द्राज प्रेमराज मोदा घासी पि देवडूमा हि० 1/48, केदारी छीतरिया पि सुखलाल हि० 3/48 जहाँ निम्न रिपोर्ट लिखते उचित कार्रवाई हेतु प्रेषित है। तहसीलदार रिपोर्ट उक्तानुसार अमल द्रामा करायें।

उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी